(जिला- जयपुर) राज.

पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। वकील [illegible] ने [illegible] आपत्ति [illegible] पेश किया। [illegible] पत्रावली [illegible] आपत्ति तुरमीमात रिपोर्ट हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने आपत्ति तुरमीमात रिपोर्ट पर बहस की। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 29/11/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, व [illegible] आपत्ति तुरमीमात रिपोर्ट व तुरमीमात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत आपत्ति तुरमीमात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं तुरमीमात रिपोर्ट सही होने से प्रस्तावित तुरमीमात रिपोर्ट अनुरूप पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला पृथक से लिख जाकर सुनाया गया। डिक्री मुताबिक पत्रावली हो। पत्रावली नियमित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी — श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस

वाद संख्या — 99 / 2024, जीसीएमएस संख्या 180 / 2024

उनवान

1. मुरली पुत्र श्री रामदेव जाति अहीर, निवासी बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

—वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र चन्दाराम
2. रामसहाय पुत्र चन्दाराम
3. अशोक पुत्र मोतीराम
4. रविदत्त पुत्र मोतीराम
5. उगन्ता पुत्री मोतीराम
6. नाथी देवी पत्नी मोतीराम
7. मिनाक्षी पुत्री मोतीराम
8. कजोड पुत्र सुवालाल
9. ग्यारसी लाल पुत्र सुवालाल
10. कालूराम पुत्र किशनाराम
11. गंगासहाय पुत्र किशनाराम
12. फूलचन्द पुत्र किशनाराम
13. मालीराम पुत्र किशनाराम
14. रूडमल पुत्र किशनाराम
15. गणपत पुत्र बालू
16. चौथमल पुत्र बालू
17. जगदीश पुत्र बालू
18. सीताराम पुत्र बालू
18. प्रभु दयाल पुत्र बालू
20. हनुमान पुत्र सोनाराम

समस्त जाति–अहीर, निवासी–बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला– जयपुर (

21 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जि

जयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर

22. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

23.शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

24. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (परिवर्तित नाम पी.एन.बी.) शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

25. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

26. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 29/11/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप मे इस प्रकार है किहाल आराजी खाता संख्या 16 के खसरा नम्बर 987 रकबा 1.0246 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0246 है0 वाकै ग्राम बिदारा हसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) मे स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्जेहाल है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र पेश है।यह कि वाद पत्र खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिकबँटवारा नहीं हुआ जबकि वादी व प्रतिवादीगण मौका पर आपसी सहमति सेअपने–अपने हिस्से पर बाद होकर काबिज काश्त है।यह कि प्रतिवादीगण ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गठन बना रखा है जिसके चलते वादी के कब्जा काश्त में दखलनदाजी पैदा करते है स कारण शामलाती में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है।

दिनांक 28/07/2024 को वादी ने प्रतिवादीगण से अपने खेतो का सहमति बँटवारा करवाकर नम्बर व रकबा अलग–अलग करवाने का निवेदन किया तो वादीगण बँटवारा करवाने से साफ इन्कारी हो गये तथा वादी के साथ आमाद साद हो गये तथा एलानिया धमकी दी है कि हम किसी भी किमत पर आराजी का निक बँटवारा नही होने देगें तथा वादी के कब्जे काश्त में इसी प्रकार मदाखलत करते रहेगें। जिस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय न के समक्ष वाद पन्त्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। यह कि प्रतिवादीगण अवैध मन्सुबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी को काश्त नहीं करने एवं कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा कर दिया या वादी को बेदखल कर दिया तो को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात एवं वादी को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा एवं वादी को अपूर्णनीय क्षति त होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि से किसी रूप में सम्भव नही हो सकेगी तथा

पक्षकारान में परस्पर मुकदमे बाजी बढ़ेगी। वाद कारण वाद पत्र की खण्ड संख्या 04 के मुताबिक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है, अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–16 के खसरा नंबर 987 रकबा 1.0246 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0246 है0 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व नियमों के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार कानूनी बंटवारा किया जावे तथा तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं पृथक–पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये की आज्ञा प्रदान करे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिए इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा मे से वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व काश्त में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत ना वे स्वंय पैदा करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा उत्तराधिकारीयो से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज व आबाद रहकर काश्त करने देवे तथा आराजी मुतनाजा के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता गिरिजा शंकर शर्मा ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 की ओर से अण्डरटेकिंग दी एवं दिनांक 07.10.2024 को प्रकरण में वकालतनामा पेश किया एवं उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 25 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में दिनांक 24.10.2024 को वकील वादी उपस्थित आये एवं आदेशिका पर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति बाबत् हस्ताक्षर किये। वकील प्रतिवादी उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे, वकील प्रतिवादी को आवाज लगाई गई, आवाज लगाने के उपरांत भी वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं आये। प्रकरण में न्यायहित में वकील प्रतिवादी को एक अवसर प्रदान किया गया। वकील वादी ने दिनांक 25.10.2024 को उपस्थित होकर वकील प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से वकील प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु निवेदन किया एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर कर दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।वकील प्रतिवादी को आवाज लगाई एवं आवाज लगाने के उपरांत भी वकील प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से वकील प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण को दिनांक 25.10.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के त्रांक/भू0अ0/2024/4933 दिनांक 04.11.2024 के द्वारा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्त हुई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 151 सीपीसी पेश किया।

उक्त आवेदन पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत न्यायहित में आवेदन आदेश 9 नियम 7 151 सीपीसी स्वीकार किया गया एवं वकील प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की जाकर वकील प्रतिवादी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये है जिस पर वादी ने नोटिस प्राप्त कर हस्ताक्षर किये है व प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार किया गया है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नियमानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गई है, अतः प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में पक्षकारान् को जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि सरस–नरस के आधार पर विभाजित की गई है। अतः प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट खारीज किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0–16 के खसरा नंबर 987 रकबा 1.0246 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0246 है0 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. मुरली पुत्र रामदेव हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 987/1 रकबा 0.2561 है0 भूमि रहेगी।
2. अर्जुन पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, अशोक कुमार पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, उगन्ता पुत्री मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, कजोडमल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, कालूराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा, गंगासहाय पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, गणपत पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा शाहपुरा, ग्यारसीलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/12 जाति अहीर

(यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, चौथमल पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ए.सी.बी. शाहपुरा, जगदीश पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, नाथी देवी पत्नि मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, प्रभूदयाल पुत्र बालूराम हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, फुलचन्द पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा, मालीराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा, मीनाक्षी पुत्री मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, रूडमल पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा, रविदत्त पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, रामसहाय पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सीतराम पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, हनुमान पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 987/2 रकबा 0.7685 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/11/24 को सरै इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर • शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. •

सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र - 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 99 / 2024, जीसीएमएस संख्या 180 / 2024

उनवान

1. मुरली पुत्र श्री रामदेव जाति अहीर, निवासी बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

–वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र चन्दाराम
2. रामसहाय पुत्र चन्दाराम
3. अशोक पुत्र मोतीराम
4. रविदत्त पुत्र मोतीराम
5. उगन्ता पुत्री मोतीराम
6. नाथी देवी पत्नी मोतीराम
7. मिनाक्षी पुत्री मोतीराम
8. कजोड़ पुत्र सुवालाल
9. ग्यारसी लाल पुत्र सुवालाल
10. कालूराम पुत्र किशनाराम
11. गंगासहाय पुत्र किशनाराम
12. फूलचन्द पुत्र किशनाराम
13. मालीराम पुत्र किशनाराम
14. रूडमल पुत्र किशनाराम
15. गणपत पुत्र बालू
16. चौथमल पुत्र बालू
17. जगदीश पुत्र बालू
18. सीताराम पुत्र बालू
18. प्रभु दयाल पुत्र बालू
20. हनुमान पुत्र सोनाराम

समस्त जाति–अहीर, निवासी–बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला– जयपुर (राज.)

21 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

22. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

23. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

24. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (परिवर्तित नाम पी.एन.बी.) शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

25. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

26. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 23/11/24

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता सं0—16 के खसरा नंबर 987 रकबा 1.0246 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0246 है0 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :—

1. मुरली पुत्र रामदेव हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 987/1 रकबा 0.2561 है0 भूमि रहेगी।
2. अर्जुन पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, अशोक कुमार पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, उगन्ता पुत्री मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, कजोडमल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, कालूराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा, गंगासहाय पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, गणपत पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा शाहपुरा, ग्यारसीलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, चौथमल पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ए.सी.बी. शाहपुरा, जगदीश पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा0 देह खातेदार, नाथी देवी पत्नि मोतीराम हिस्सा 1/90

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार, प्रभूदयाल पुत्र बाबूराम हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार, फूलचन्द पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा, मालीराम पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा, मीनाक्षी पुत्री मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार, कजमल पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/30 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/30 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा, रविदत्त पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/90 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार, रामसहाय पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/12 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, सीताराम पुत्र बालू हिस्सा 1/18 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार रहिन हिस्सा 1/18 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, हनुमान पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव) सा० देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 987/2 रकबा 0.7685 है० भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 29/11/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.